<u>मो० दु० दावा प्र. क्र.–81/2026 (विमला जगत व अन्य वि० धनेश कुमार यादव व अन्य)</u>

<u>(प्रारंभिक साक्ष्य)</u>

Witness No...**01.**.......for...**आवेदक स्वतः........**Deposition taken on the.......

17.04.2026 day of ......**शुक्रवार......**. Withnes's apparent age.....**44 Yr**

States on affirmation...**शपथपूर्वक**.......My name is **......विमला जगत....**

Wife/of........**स्व. कैलाश जगत**...................................Occupation......**गृहणी**

Address...**निवासी– ग्राम–कुन्दीकला, थाना–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (छ०ग०)..**

01. मेरे द्वारा मेरे पति कैलाश जगत की दुर्घटना दिनांक 03/01/2026 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के आधार पर दावा प्रकरण पेश किया गया है। घटना दिनांक 03/01/2026 को मेरे पति मेरी पुत्री बबीता का ईलाज कराने के लिये लुण्ड्रा अपने मोटर सायकल से गये थे। ईलाज कराकर वापस आते समय लुण्ड्रा भलवा मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे कार क्रमांक–CG04–QD–3464 के चालक ने तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये मेरे पति के मोटर सायकल को ठोकर मार दिया। जिसके कारण मेरे पति एवं मेरी पुत्री दोनों को गंभीर चोट आयी थी। ईलाज के दौरान मेरे पति कैलाश जगत का दिनांक 03/01/2026 को मृत्यु हो गयी।

02. मोटर दुर्घटना में मेरे पति की मृत्यु हो जाने के कारण हम लोगों के द्वारा वाहन चालक स्वामी एवं बीमा कंपनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति हेतु दावा पेश किया गया है। दावा आवेदन के समर्थन में मेरे द्वारा थाना प्रभारी द्वारा पुलिस दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि पेश किया गया है।

03. मृतक मेरे पति थे। जिनके दो बच्चे तुलेश्वर एवं बबीता है तथा लक्ष्मण, मृतक के पिता है एवं भगमनिया मृतक की माता है। हम आवेदकगण के अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी या दावाकर्ता नहीं है। हम लोगों के द्वारा इस दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति हेतु यह प्रथम दावा आवेदन पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी न्यायालय में किसी प्रकार का दावा पेश नहीं किया गया है और ना ही विचाराधीन है। अतः दावा आवेदन के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि दिलायी जावे।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया, सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/–
(जनक कुमार हिड़को)
षष्ठम मो.दु.दावा अधिकरण
अम्बिकापुर, सरगुजा(छ.ग)

सही/–
(जनक कुमार हिड़को)
षष्ठम मो.दु.दावा अधिकरण
अम्बिकापुर, सरगुजा(छ.ग)